File No. 0/4/2020-SEC_4-UDHD DEPT 1/74191/2021

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा मे,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद / नगर पंचायत।

पटना / दिनांक 03.06.2021

विषयः– **दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SUH घटक के अंतर्गत स्थित स्थायी आश्रय स्थलों में रहने वाले आश्रविहीनों हेतु Covid-19 से बचाव संबंधित सुविधाएँ उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंगः– **पत्रांक–760 दिनांक–20.04.2020.**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से कहना है कि दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के SUH घटक अंतर्गत आश्रय स्थलों में रहने वाले आश्रविहीनों एवं प्रवासी महदूरों के स्वास्थ्य एवं Covid-19 महामारी से माह मार्च, 2021 से बढ़ते मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश तैयार किया गया है (प्रति संलग्न) जिसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

2. प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी मार्गदर्शिका को ध्यान में रखते हुए नयी मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

3. उक्त के संदर्भ में स्पष्ट करना है कि इस कार्य हेतु राशि का व्यय योजना के SUH घटक से किया जायेगा। SUH घटक में राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योजना के किसी भी घटक से राशि व्यय कर सकेंगे तथा वर्णित घटक में राशि प्राप्त होने पर उस राशि को संबंधित घटक की राशि से समायोजित कर लेंगे।

4. अतः उक्त वर्णित के आलोक में अनुरोध है कि सभी संचालित स्थायी आश्रय स्थलों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देश से अतिरिक्त उपरोक्त को लागू करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

03/06/21

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर **निदेशक,**
नगर विकास एवं आवास विभाग।

निर्देशिका

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु दिशा निर्देश

सभी आश्रय स्थलों में पुराने दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए निम्न दिशा निर्देशों का पालन किया जाय-

1. सभी आश्रय स्थलों में Covid-19 के प्रसार को रोकने के लिए निवास कर रहे आश्रयविहीनों का दैनिक रूप से शरीर के तापमान की जाँच एवं SpO2 लेवल की जाँच किया जाना अनिवार्य है, उक्त वर्णित हेतु नगर निकाय द्वारा DAY-NULM के SUH घटक के मद से एक अदद् डिजिटल थर्मामीटर (रु०200/-) एवं एक अदद् ऑक्सीमीटर (रु०2800/-) क्रय कर रखना अनिवार्य है जिसका कुल अधिकतम व्यय रु० 3000/- (रूपए तीन हज़ार मात्र) निर्धारित किया गया है।

2. आश्रय स्थलों में रहने वाले आश्रयविहीन अथवा प्रवासी मजदूरों में यदि किसी भी प्रकार कोरोना के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, सर्दी, जुखाम इत्यादि पाया जाता है तो अविलम्ब नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) से उनका जांच करवाई जाए एवं यदि किसी आश्रय स्थल के निकट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) ना हो तो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल में अलग व्यवस्था की जाए।

3. सभी संक्रमित व्यक्तियों के लिए अलग शौचालय एवं बेड की व्यवस्था की जाए जिसे आश्रय स्थल के अन्य लाभुकों से दूरी बनाई रखी जा सके। संक्रमित व्यक्तियों के शौचालय एवं बेड का अंकन कराया जाय ताकि कोई अन्य व्यक्ति उनका इस्तेमाल ना कर सके।

4. नगर निकाय में सभी संचालित स्थायी आश्रय स्थलों का समय समय पर sanitization एवं साफ़ सफाई कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी आश्रय स्थल में संक्रमित व्यक्ति के पाये जाने पर तुरंत उन्हें Covid-19 मेडिकल किट उपलब्ध कराया जाय एवं उन व्यक्तियों के लिए आश्रय स्थल में अलग व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

5. आश्रय स्थल में रुकने वाले सभी आश्रयविहीनों को नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पंजीकृत करवाने के उपरान्त Covid-19 टीकाकरण कराया जाय।

6. आश्रय स्थलों में दी जाने वाली इन सारी सुविधाओं जैसे प्रतिदिन तापमान की जाँच, SpO2 लेवल की जाँच एवं आश्रय स्थलों का sanitization इत्यादि हेतु आश्रय स्थल के प्रबंधक द्वारा एक पंजिका का रख-रखाव किया जायेगा।